


जोधेबायी

Entry 5

समक्ष राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

1 गणेश

2 कृष्णा



PPR/मि०र०/१००/शु०/२०१७/२६०५

दोनो वयस्क आ० आनंद राव कुनवी

निवासी ग्राम गढा तहसील जिला बैतूल.....आवेदकगण

विरुद्ध

श्री प्रकाश दुबे एडवोकेट  
Rto Coll (सुप्रीम)  
28/7/2017  
अधीक्षक

बलदेव वल्द आनंद राव कुनवी वयस्क

कलेक्टर, होशंगाबाद

निवासी ग्राम गढा तहसील व जिला बैतूल.....अनावेदक

श्री प्रकाश

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू राजस्व संहिता

आवेदकगण यह रिवीजन माननीय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालय के अपील प्र०क० 269/अपील/12-12 आदेश दिनांक 20.4.17 जिसके तहत अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई जो उत्पन्न अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के रा० प्र०क० 7अ-27/अपील/2010-11 आदेश दिनांक 30/3/13 एवं अपर तहसीलदार बैतूल के न्यायालय के प्र०क० 7अ-27/12-13 आदेश दिनांक 30.3.13 से हुआ है के विरुद्ध निम्न तथ्यों एवं आधारों पर पेश है-

तथ्य

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आनंदराव की दो पत्नियां पार्वती बाई जिससे उत्पन्न संतान अपीलार्थीगण गणेश एवं कृष्णा तथा दूसरी पत्नि शांताबाई जिससे उत्पन्न संतान अनावेदक बलदेव है।

1. यह कि आनंदराव की भूमि ग्राम गढा ख० नं० 122, 269, 270, 298, 299, 302, 304, 306, 313, जुमला रकबा 2.646 हे० जो कि आनंद राव को विरासतन हक में प्राप्त हुई। जो विवादित भूमि है।
2. यह कि प्रश्नाधीन भूमि में से ख० नं० 298, 299, 302 जुमला रकबा 1490 हे० भूमि बलदेव ने आपसी बटवारे अनुसार दर्ज करने का बटवारा मांगा है। तहसील न्यायालय में आनेवाला बटवारा अनापत्ति दर्ज कराया है।

गणेश चन्देय  
RBR/R/सुल/UR/2/2605-

46

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/6/19	<p>उभयपक्ष की ओर से कोई उप न ही। आवेक अफि का लम वार आवज लागवाई गई, परंतु उनकी ओर से कोई उप न ही। ऐसी स्थिति में यह प्रकारण आवेक की अनुपस्थिति के कारण अफम पैरली में रवारीज किया जाता है।</p> <p>(<del>महेश चन्द्र चौधरी</del>) सदस्य</p>	